COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA 10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(31)

प्र.क्र. /2017 पुनरीक्षण I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4114

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 01-11-17 को
प्रस्तुत
1-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ता. पेशी-4-12-17

मुकेश भार्गव
1-11-17 एडवोकेट
ग्वालियर

मीरा पत्नी पप्पू बसोर
निवासी ग्राम ज्योराहा तह. लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. पच्ची पत्नी मुन्नीलाल कोरी
2. सकुन पत्नी हरप्रसाद कोरी
दोनों निवासीगण ग्राम ज्योराहा तहसील
लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

**न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 84/अ-6-अ/16-17 में पारित आदेश दिनांक 17.10.17 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2- यह कि, आराजी नं. 339 रकवा 0.510 है. भूमि मौजा ज्यौराहा तहसील लवकुशनगर में स्थित होकर आवेदक के ससुर कलिया के पिता छितईया के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। जिस पर आज भी मौके पर आवेदिका के

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 01/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4114

मीरा विरुद्ध पच्ची

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| | पूर्व आदेश पंजिका से<br>पुनश्च: | |
| 28/8/18 | — आवेदक अभि० श्री मुकेश भार्गव को सुना जा चुका है। नायब तहसीलदार की प्रकरण पंजिका क्रमांक 84/अ-6 अ/ सन् 2016-17 की Order Sheet दिनांक 17/x/17 अवलोकित की।<br>— प्रकरण में रामरती के अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 CPC के प्रस्तुत आवेदन पर तर्क हेतु आगामी पेशी दि. 24/10/17 नियत की गयी है।<br>— अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में निगरानी अग्राह्य की जाती है। अभिभाषक को नोट करायें। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>28/8/18 | |